

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक: एफ 4(9)आरडी/आरई/NLM/2006-07

जयपुर, दिनांक:

समस्त जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान।

JUL 2009

विषय: स्टेट लेवल मॉनिटरिंग के पैनल के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नरेगा के क्रियान्वयन की समीक्षा करने एवं मौके पर स्थिति की जानकारी लेने हेतु तथा इस संबंध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों का राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के रूप में पैनल तैयार किया गया है। यह पर्यवेक्षक माह में एकबार उन्हे आवंटित जिले का अधिकतम 10 दिन तक भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों की जांच करने के साथ ही कम से कम 10 कार्य स्थलों का निरीक्षण कर रोजगार गारन्टी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की पालना के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि नरेगा में कार्यरत विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी इन पर्यवेक्षकों को समस्त सूचना उपलब्ध कराये तथा उन्हें भ्रमण के दौरान सहयोग भी प्रदान करेंगे, जिससे यह अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा सके। पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने भ्रमण एवं सूचना जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव एवं
आयुक्त, ईजीएस

10/7/09

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्र.:—एफ 4(2)आरडी/आरई/NLM/2006-07

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राज.)।

10 JUL 2009

विषय:— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत
राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के दायित्व एवं शर्तें।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के प्रावधानों को
दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक से अपेक्षित कार्य निम्न होंगे:—

1. राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक को जिले का आवंटन राज्य स्तर से किया जावेगा।
2. प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपादित करना होगा।
3. राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच का कार्य दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित करनी होगी। जांच का कार्य अल्प समय में आवंटित किया जावेगा एवं उसका निष्पादन निर्देश मिलने के उपरांत अविलंब संपादित करना होगा।
4. राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक द्वारा मॉनीटरिंग का कार्य निम्न प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित करना होगा:—
आवंटित जिला/ पंचायत समिति में अधिकतम 10 दिवस रहते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:—
 - प्रथम दिवस मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/ कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति के साथ जिला/ पंचायत समिति में इस कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर पंचायत समिति/ ग्राम पंचायतवार चर्चा की जावेगी। जिसमें इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य जिला/ पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जावेगा।
 - प्रत्येक जिले/ पंचायत समिति में 2 से 3 पंचायत समितियों/ ग्राम पंचायतों का चयन किया जावेगा। चयन करते समय यह ध्यान में रखा जावे कि इस योजना के अन्तर्गत अनुमत कार्यों की समस्त श्रेणियों के कार्यों का समावेश निरीक्षण के दौरान हो जावे।
 - प्रत्येक पंचायत समिति में 2-2 ग्राम पंचायतों का चयन करना होगा।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में निष्पादित किये गये/ प्रगतिरत समस्त कार्यों का आंकलन किया जावेगा।
- कार्यों पर नियोजित श्रमिकों को टास्क की जानकारी, उनको कार्यक्रम की जानकारी, श्रमिकों के जॉब कार्ड की स्थिति, भुगतान का विवरण, भुगतान की प्रक्रिया, कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई गई सुविधाएं आदि समस्त बिन्दुओं का आंकलन करना होगा।
- चयनित ग्राम पंचायत में उपलब्ध परिवारों, जॉब कार्ड जारी किये गये परिवारों एवं नियोजित परिवारों का आंकलन कर यदि कुछ परिवारों को जॉब कार्ड जारी नहीं हुए हों तो उन्हें जॉब कार्ड जारी न होने के कारणों का भी आंकलन करना होगा। इसी प्रकार जॉब कार्डधारी समस्त व्यक्तियों को यदि कार्य पर नियोजित नहीं किया गया है तो नियोजित न किये जाने का भी आंकलन करना होगा।
- ग्राम पंचायतों के अध्ययन उपरांत अंतिम दिवस को पंचायत समिति स्तर पर पुनः बैठक की जाकर पाई गई स्थिति से अवगत कराते हुए संबंधित अधिकारियों का फीडबैक लेना होगा। इसी प्रकार राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा जिला स्तर पर चर्चा की जाकर फीड बैक लेना होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निष्पादित करने के उपरांत राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा एक रिपोर्ट क्षेत्र भ्रमण के एक माह के अंदर राज्य स्तर पर प्रस्तुत करनी होगी।

5. राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक को आवंटित जांच का कार्य शिकायत की प्रकृति के अनुसार निष्पादित करना होगा।

मानदेय:-

- यात्रा व्यय :- आवंटित जिले/ पंचायत समिति में जाने हेतु वास्तविक रेल/ बस किराया देय होगा। रेल किराया AC II Tier तक का तथा बस किराया डीलक्स बस तक का टिकट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा। उक्त किराया एक बार ही देय होगा। ऑटो/ टैक्सी किराया राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।
क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन की सुविधा संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
- अन्य व्यय:- राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को प्रवास व्यय रु. 1000/- प्रतिदिवस की दर से देय होगा (आवंटित जिले/ पंचायत समिति तक पहुंचने की यात्रा अवधि के अतिरिक्त)।
- जिला/ पंचायत समिति स्तर पर ठहरने/ भोजन की सुविधा हेतु रु. 200/- प्रतिदिवस की दर से देय होगा, बशर्ते उन्हें इस प्रयोजन हेतु कोई राजकीय सुविधा उपलब्ध न कराई गई हो।

- मॉनीटरिंग रिपोर्ट को टंकित कराने/ फोटो स्टेट कराने आदि के कार्य हेतु रु. 500/- देय होंगे। रिपोर्ट 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी। इसी प्रकार जांच रिपोर्ट टंकित कराने/फोटो स्टेट करने के कार्य हेतु रुपये 100/- प्रति रिपोर्ट की दर से देय होंगे, जो दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी।

भवदीय,

(10/7/09)

(राजेन्द्र भाणावत)

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. संबंधित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि.निदे एवं उपसचिव(ग्रामो)